30/04/25

GCMS
2-12/00073

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.01 17:59:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : संदीप काकड़, आर.ए.एस.

वाद–पत्र संख्या : 207 / 2012 GCMS:- 2012/00073 दायरा दिनांक : 12 / 09 / 2012

अनवान् : मलकीत सिंह वगै0 बनाम् प्यारो बाई वगै0

(वाद–पत्र अंतर्गत धारा–88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955)

निर्णय दिनांक : 30.04.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना–पत्रों हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण / प्रार्थीगण मलकीत सिंह व बग्गा सिंह पुत्रगण महेन्द्र सिंह के द्वारा दिनांक 25.11.2024 को प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश–22 नियम–4(4) सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया है कि उक्त अनवान के वाद–पत्र में प्रतिवादी सं. 9 रामचन्द्र का स्वर्गवास करीब 5 वर्ष पूर्व और प्रतिवादी सं. 3 छल्लो बाई की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है। इनके विरूद्ध दिनांक 28.02.2013 व दिनांक 14.08.2018 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश हो चुके है। इस आधार पर उनके विधिक वारिसों को पक्षकार बनाने की छूट दिये जाने के आदेश पारित किये जावे। जिसका जवाब प्रार्थना–पत्र प्रतिवादी सं. 4 गुरदयाल सिंह के द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 9 की मृत्यु करीब 5 वर्ष पूर्व हो चुकी है जिसकी सूचना न्यायालय को दी जा चुकी है। रामचन्द्र के स्वर्गवास होने से पूर्व यह भूमि उनके नाम से अंकित थी और आज अन्य के नाम से अंकित हो चुकी है जिसकी जमाबन्दी की नकल पेश की हुई है। मृतक रामचन्द्र के पश्चात अब संयुक्त खाता की भूमि में अन्य काश्तकारान द्वारा काश्त की जाती आ रही है जिसकी जानकारी पूर्ण रुप से वादीगण / प्रार्थीगण को है। प्रतिवादी सं. 3 के स्वर्ग सिधारने पर वादीगण / प्रार्थीगण स्वयं और इनके परिवार के सदस्य इनके दाह संस्कार में शामिल हुये थे। इस बात की इन्हें जानकारी होने के बावजूद इनके द्वारा वाद–पत्र में साक्ष्य प्रतिवादी की कार्यवाही जेरकार होने पर वारिसों को पक्षकार ना बनाते हुये जिरह की कार्यवाही की गई जो पत्रावली की आदेशिका से पूर्णतया साबित है। आदेश–22 नियम–3 सी.पी.सी. में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि निर्धारित समयावधि में मृतक के वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया जाता तो वाद–पत्र उपनियम–1 के अनुसार मृतक की हद तक उपशमित हो जाता है। यह स्वतः ही होता है। प्रतिवादी सं. 9 व 3 के विरूद्ध वाद स्वतः ही उपशमित हो चुका है। उपशमन को निरस्त करवाये बिना ही साक्ष्य प्रतिवादी में जिरह की कार्यवाही वादीगण द्वारा की गई और बहस हेतु पत्रावली आने पर बहस हेतु अवसर लिये जाने के पश्चात अपना यह प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है। जो कि गलत व विधि विरूद्ध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के द्वारा पारित न्याय निर्णय अनवान बरजी बनाम् मंगू में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "अभिलेख पर मृतक के विधिक प्रतिनिधियों को लाये जाने के अभाव में विहित अवधि की समाप्ति पर अपील स्वतः उपशमित मानी जावेगी। वादीगण द्वारा संयुकत खाता की जमाबन्दी में प्रविष्टियों के परिवर्तन होने से राजस्व रिकार्ड में अंकित यह स्वामी / सहखातेदार जग्गो बाई के वारिस और पूर्व सहखातेदार अंकित पक्षकार की मृत्युपरान्त वाद–पत्र स्वतः उपशमित हो जाने के पश्चात अपना यह प्रार्थना–पत्र पेश किये जाने से यह निरस्त किया जावे।

उक्त जवाब प्रार्थना–पत्र प्रतिवादी गुरदयाल सिंह के द्वारा पेश करते हुए इसके साथ एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र के दिनांक 08.01.2025 को पेशकर निवेदन किया है कि प्रतिवादी सं. 9 रामचन्द्र की मृत्यु करीब 5 वर्ष पूर्व और प्रतिवादी 3 छल्लो बाई जो कि वादीगण की सगी बुआ थी का भी काफी समय पूर्व स्वर्गवास हो चुका है इनके स्वर्गवास होने पर उनके दाह संस्कार व अंतिम अरदास में स्वयं वादीगण अपने परिवार के सदस्यों सहित शामिल हुये थे। इनके द्वारा अदालत को उक्त वाद–पत्र में कोई सूचना नहीं दी और ना ही मृतकों के वारिसों को पक्षकार बनाने की कोई कार्यवाही की गई है। उक्त अनवान के वाद–पत्र संयुक्त खाता की भूमि में प्रतिवादी / प्रार्थी की माता के नाम से अंकित उसके हिस्से की भूमि की अपंजीकृत वसीयत के आधार पर घोषणा का वाद–पत्र वादीगण ने पेश किया हुआ है। उक्त मृतकों के वारिसों को वाद–पत्र में प्रतिस्थापित ना किये जाने से वाद–पत्र स्वतः ही उपशमित हो चुका है। माननीय उच्च न्यायालय उतराखण्ड के न्याय निर्णय AIR–2012 में प्रकाशित अनवान लाला बनाम् मन्दरदास जैन बनाम् एडिशन सिविल जज देहरादून में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "जहां कुछ मृतक के विधिक वारिसों का अप्रतिस्थापन था / संयुक्त सम्पति में सस्वामित्व अधिकार की घोषणा हेतु वाद था। प्रत्येक का हिस्सा ना तो पृथक था और न ही भिन्न था। इस प्रकार

लगातार 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.01 17:59:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

कुछ के अप्रतिस्थापन के कारण अपील उपशमित मानी जावेगी। प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.10.2024 को प्रतिवादी सं. 9 की और दिनांक 08.10.2024 को मृत्यु की सूचना दिये जाने और स्वयं वादीगण को इनकी मृत्यु की जानकारी होने के बावजूद निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के पश्चात वादीगण का वाद–पत्र स्वतः उपशमित होने से वाद–पत्र निरस्त फरमाया जावे। वादीगण द्वारा इस प्रार्थना–पत्र का जवाब ना पेश करते हुये दोनों प्रार्थना–पत्रों पर एकसाथ बहस सुने जाने का निवेदन किये जाने पर बहस दोनों प्रार्थना–पत्र एक साथ सुने गये।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण/वादीगण के अधिवक्ता के द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र दिनांक 25.11.2024 में अंकित तथ्यों को अपनी बहस में दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण आदेश–22 नियम–4(4) सी.पी.सी. के तहत मृतक के वारिसान को पक्षकार बनाये जाने की छूट प्राप्त करने के विधिक रुप से अधिकारी है। उनके द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्याय निर्णय RRD–1981 P. No. 87 और RRD–1989 P. No. 625 पेश किये गये। इसके साथ ही निवेदन किया कि मृतकों के विरूद्ध वादीगण का वाद–पत्र उपशमित नहीं होगा। क्योंकि हमारे द्वारा अपना छूट प्राप्त करने का प्रार्थना–पत्र पेश किया जा चुका है। इसलिये प्रतिवादी गुरदयाल सिंह का प्रार्थना–पत्र निरस्त फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी/प्रतिवादी गुरदयाल सिंह के द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र व प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि जेरवाद भूमि संयुक्त खाता में अंकित मृतक सहखातेदार उसकी माता के हिस्सा की भूमि को अपंजीकृत वसीयत के आधार पर उसके हिस्सा की घोषणा का पेश किया गया है। मृतक के समस्त वारिसान इसमें आवश्यक पक्षकार नियमानुसार होने से उन्हें स्वयं वादीगण द्वारा ही पक्षकार बनाया हुआ है। प्रतिवादी सं. 9 और प्रतिवादी सं. 3 की मृत्यु काफी अरसा पूर्व हो चुकी है। जिसकी जानकारी वादीगण को पूर्ण रुप से होने के बावजूद इनके द्वारा जानबूझकर न्यायालय को इसकी सूचना नहीं दी गई है। वादीगण का वाद–पत्र स्वतः निर्धारित अवधि के पश्चात उपशमित होने के पश्चात अपना प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है। इस स्तर पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी गुरदयाल सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण निरस्त किया जावे। इनके द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र व प्रार्थना–पत्र में अंकित न्याय निर्णयों का अवलोकन करवाया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनने के पश्चात प्रस्तुत न्याय निर्णयों एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण के द्वारा अपना उक्त अनवान का वाद–पत्र चक 4 एनआरडी तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2064 ता 2067 की खाता सं. 12/12 के प. नं. 87/318 के कि. नं. 1–2/0.506 है0, 9 ता 13/1.265 है0, 14/0.126 है0, 15/0.127 है0, 16 ता 25/2.530 है0 = 4.554 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में जग्गो बाई के नाम से अंकित 1/3 हिस्सा की, की हुई वसीयत मुताबिक खातेदार की घोषणा वादीगण के नाम से किये जाने का पेश किया हुआ है। वादीगण के द्वारा अपने वाद–पत्र में जग्गो बाई के वारिसान और सहखातेदारान को पक्षकार बनाते हुये वाद–पत्र पेश किया हुआ है। इस वाद–पत्र में प्रतिवादी सं. 9 के विरूद्ध दिनांक 28.02.2013 व प्रतिवादी सं. 3 के विरूद्ध दिनांक 14.08.2018 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये हुये है। इस वाद–पत्र में प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार जेरवाद भूमि संयुक्त खाता में अंकित है जिसमें अंकित सहखातेदार प्रतिवादी सं. 9 का और जग्गो की वारिस प्रतिवादी सं. 3 का दौराने वाद स्वर्गवास वादीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र पेश करने से 5 वर्ष पूर्व और काफी समय पूर्व होना वादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है। जिनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण के द्वारा निर्धारित अवधि में इनके कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की गई है। वादीगण संयुक्त खाता की भूमि में जग्गो बाई के हिस्सा की भूमि पर स्वयं काबिज होकर काश्त करना अपने वाद–पत्र में बताया [illegible] उनकी भूमि पर अन्य व्यक्तियों या वारिसों द्वारा काश्त की जा रही हैं कि [illegible] उन्हें ना हो ऐसा सम्भव नहीं है। मृतक प्रतिवादी सं. 3 वादीगण [illegible] बहस में स्वीकार किया गया है। इनकी मृत्यु की जानकारी [illegible] है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश–22 में मृतकों के कायम मुकाम [illegible] की कार्याही नहीं किये जाने पर निर्धारित अवधि के पश्चात वाद–पत्र का स्वतः उपशमित [illegible] का आज्ञात्मक प्रावधान आदेश–22 नियम–4(3) सी.पी.सी. में है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित न्याय निर्णय बरजी बनाम मंगू में भी मृतक के वारिसान को लाये जाने के अभाव में विहित अवधि की समाप्ति पर स्वतः उपशमित माने जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। जो कि इस प्रकरण में लागू होता है। चूंकि प्रतिवादी सं. 9 व 3 के हिस्सा तक उपशमन नियमानुसार हो चुका है। वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.01 17:59:23 IST
Reason: SelfAttested

लगातार 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

द्वारा उपशमन निरस्त करवाने की कार्यवाही नहीं की गई है और ना ही मृतकों की सूचना उनके द्वारा न्यायालय को दी गई है जबकि वाद लाने वाले का यह दायित्व है कि वह न्यायालय को इसकी सूचना देवे। दौराने वाद प्रतिवादी द्वारा अलग–अलग प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी सं. 3 व 9 की मृत्यु की सूचना दी गई है। प्रतिवादी नं. 3 व 9 के हकूक की सीमा तक वाद निरस्त करने की प्रार्थना की है। दूसरी ओर वादी द्वारा बाद आने सूचना मृत्यु प्रतिवादी नं. 3 व 9 प्रार्थना–पत्र आदेश–22 रुल–4(4) व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर उनकी अनुपस्थिति मृत्यु पूर्व इकतरफा सुनवाई के आदेश होने से वाद उपशमित न मानकर उनकी मृत्यु उपरान्त वारिसों को पक्षकारों को न बनाकर सुनवाई के आदेश हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। विचारण में प्रतिवादी द्वारा जो न्याय निर्णय प्रस्तुत किये गये हैं वह सामान्य स्थिति के नियम है जो इस स्तर पर प्रार्थी (वादी) के प्रकरण में प्रभावशील नहीं होते। सामान्य नियमों पर विशिष्ट नियम (SPECIFIC PROVISION) लागू होते है। इस विषय में वादी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय प्रभावशील है। प्रार्थना–पत्र वादी एवं प्रतिवादी से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी नं. 3 व 9 के विरूद्ध इकतरफा के आदेश उनके जीवनकाल में हुए थे इसलिये आदेश–22 रुल–4(4) व्यवहार प्रक्रिया संहिता इस मामले में प्रभावशील है किन्तु फिर भी न्यायहित में प्रतिवादी नं. 3 व 9 मृतक के वारिसों को सुना जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी (वादी) एवं प्रतिवादी (अप्रार्थी) आंशिक स्वीकार कर वाद वादी प्रतिवादी 3 व 9 की सीमा तक उपशमित मानकर वादी को निर्देश दिया जाता है कि वादी पुनः मृतक के वारिसान को पक्षकार बनाकर अपना न्याय वाद प्रस्तुत करे। नया वाद प्रस्तुत होने पर वर्तमान वाद नये वाद के साथ संलग्न कर सुनवाई की जावे तब तक वर्तमान वाद निरस्त किया जाता है।

आज दिनांक 30.04.25 को मेरे द्वारा यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

30.04.25

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.01 17:59:23 IST
Reason: SelfAttested